संख्या- 358114 /XXIV-C-4/2025-25(03)/2020 E-96722

प्रेषक,

डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड सरकार।

सेवामें

1. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय।
उत्तराखण्ड।

2. कुलसचिव,
समस्त निजी विश्वविद्यालय।
उत्तराखण्ड।

3- निदेशक (उच्च शिक्षा)
उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून, दिनांक 05 ~~दिसम्बर~~ जनवरी, 2026

**विषयः उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों एवं अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेन्ट योजना अंतर्गत अर्हता हेतु मान्य शोध पत्र प्रकाशन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि, राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता उन्नयन के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इस संदर्भ में समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में नैक प्रत्यायन एवं एन0आई0आर0एफ0 रैंकिंग को प्रोत्साहित करते हुए अनिवार्य किया जा रहा है। कैरियर एडवांसमेन्ट योजना के विभिन्न प्रकरणों का परीक्षण करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कैरियर एडवांसमेन्ट योजना का लाभ लेने हेतु शिक्षकों द्वारा ऐसे शोध पत्र प्रकाशन प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो न्यून स्तर के हैं और कई बार विषय से इतर शोध पत्रों को भी ऐसी शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित कराकर उनका लाभ लेने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। कतिपय ऐसे प्रकरण भी संज्ञान में आए हैं जिसमें प्राध्यापकों द्वारा ऐसे न्यून स्तर के शोध पत्रिकाओं में पूर्व तिथि में शोध प्रकाशन कराते हुए कैरियर एडवांसमेन्ट हेतु पूर्व की तिथि से देयता अथवा तिथि संशोधन हेतु अनुरोध किया जा रहा है जो वास्तविक रूप से नहीं है।

2. यह भी तथ्य संज्ञान में आया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यूजीसी केयर लिस्ट शोध पत्रिकाओं की सूची भी समाप्त की जा चुकी है, उक्त के दृष्टिगत भी कैरियर एडवांसमेन्ट योजना अंतर्गत अर्हता हेतु मान्य शोध पत्र प्रकाशन के संबंध में स्पष्टता आवश्यक है। उक्त प्रकार के न्यून स्तरीय शोध प्रकाशनों और कदाचार को हतोत्साहित करने, कैरियर एडवांसमेन्ट योजना अंतर्गत अर्हता हेतु मान्य शोध पत्र प्रकाशन की स्पष्टता तथा नैक प्रत्यायन एवं एन0आई0आर0एफ0 तथा कैरियर एडवांसमेन्ट योजना हेतु भिन्न शोध पत्रिकाओं की मान्यता से उत्पन्न होने वाली विसंगति को समाप्त करने के उद्देश्य से तथा राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों एवं



File No. HES-4-OTHE/9/2025-XXIV-C-4-Higher Education Department (Computer No. 96722)
Generated from eOffice by ASHA KANDPAL, SO-HigherEdu4-AK, SECTION OFFICER, Higher Education Department on 05/01/2026 03:37 pm

Scanned with OKEN Scanner

अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेन्ट योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे शोध पत्र प्रकाशन ही मान्य होंगे जो नैक प्रत्यायन/एन0आई0आर0एफ0 रैंकिंग की गणना में मान्य हैं अथवा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासनादेश सं0 270539/XXIV-C-2/2025/03(02)2024E FileNo 77000 दिनांक 29 जनवरी 2025 द्वारा मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजनान्तर्गत सूचीबद्ध शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्र ही मान्य किए जाएंगे। उक्त शोध पत्रों का विवरण संबंधित शिक्षक के समर्थ प्रोफाइल पर होना अनिवार्य है जिससे आवश्यकता होने पर उसका परीक्षण किया जा सके।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तदनुसार अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करते हुए शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेन्ट योजना का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

भवदीय

Digitally signed by Ranjit Kumar Sinha
Date: 02-01-2026 13:45:29

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव।

संख्या- /XXIV-C-4/2025-25(03)/2020 तद्दिनांकतद्दिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. समस्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय/अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय–द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

Digitally signed by Ajeet Singh
Date: 05-01-2026 14:58:58

(अजीत सिंह)
उप सचिव।



File No. HES-4-OTHE/9/2025-XXIV-C-4-Higher Education Department (Computer No. 96722)
Generated from eOffice by ASHA KANDPAL, SO-HigherEdu4-AK, SECTION OFFICER, Higher Education Department on 05/01/2026 03:37 pm

Scanned with OKEN Scanner